

फर्द अहकाम
(नियम 26)

2020/00211

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट

श्री नेमीचन्द जैन पुत्र श्री रायचन्द

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

जाति जैन
निवासी सिरोही रोड़
जिला सिरोही

किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 13 वर्ष 2020

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
07.08.2020	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम सिरोही को दिनांक 30.12.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ठिकाना कालन्द्री द्वारा 18.12.1949 को जारी 84 प्लोटों के नक्शे से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम सिरोही को दिनांक 11.01.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ए.डी.एम सिरोही को दिनांक 30.12.2019 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि ठिकाना कालन्द्री द्वारा 18.12.1949 को जारी 84 प्लोटों के नक्शे से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जाये। ए.डी.एम सिरोही द्वारा पत्र सं. 480 दिनांक 06.02.2019 एवं पत्र सं. 850 दिनांक 03.01.2020 द्वारा अपीलांत को सूचित कर दिया है। अतः अपीलांत की अपील अस्वीकार की जाती है। अपीलांत चाहे तो सक्षम प्राधिकारी को अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही



227-28
13/8/20